भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:

समान नागरिक संहिता, संविधान का अनुच्छेद 44, सातवीं अनुसूची, वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, भारत का 22वाँ विधि आयोग

मेन्स के लिये:

समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क, भारत में समान नागरिक संहिता के लिये प्रयास, समान नागरिक संहिता को लागू करने में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में **भारत में** समान नागरिक संहिता (UCC) **के कार्यान्वयन** के लिये अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि **भारत "विभिन्न समुदायों के लिये अलग कानूनों" की प्रणाली के साथ कुशलतापूर्वक कार्य नहीं** कर सकता है।

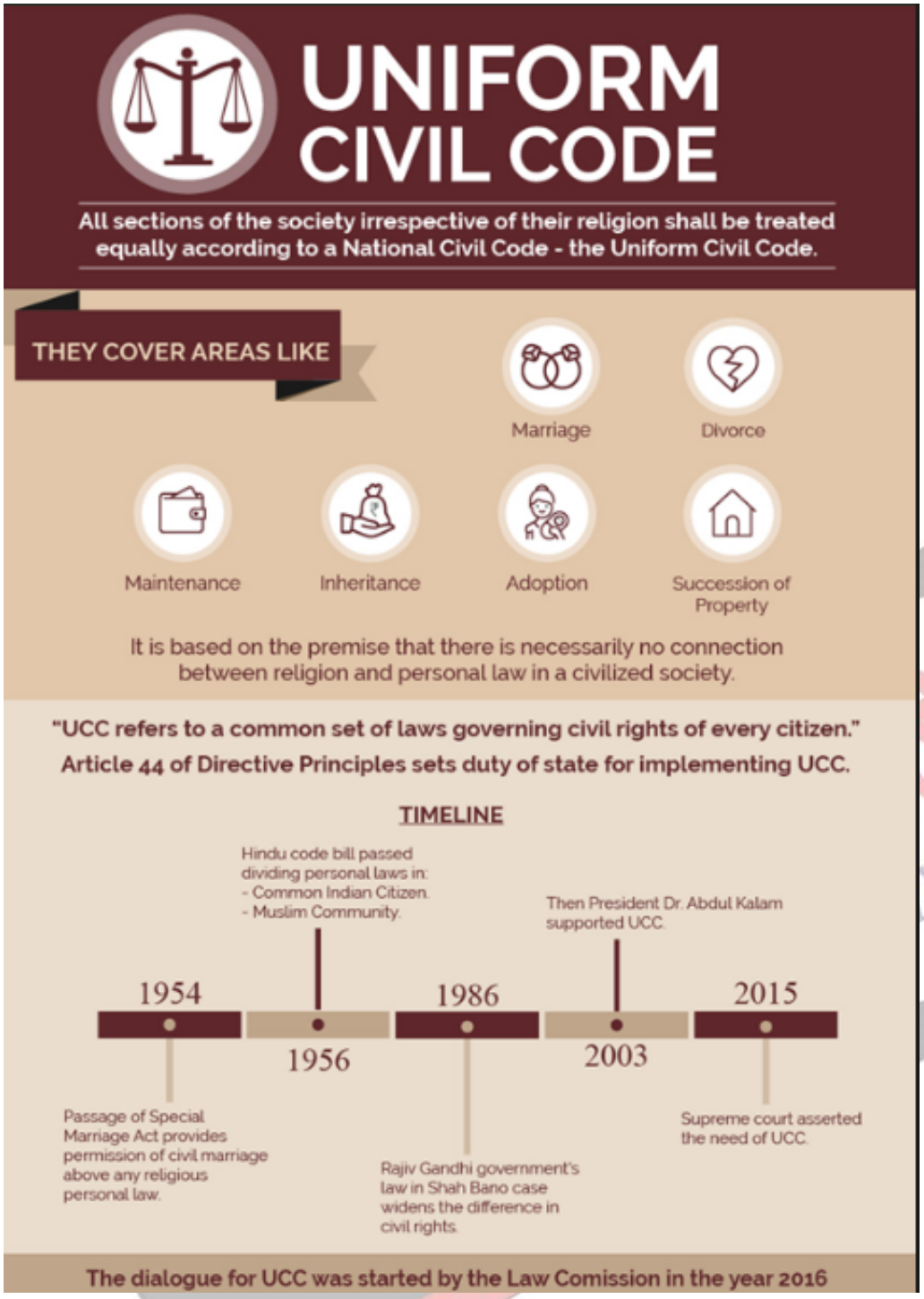

समान नागरिक संहिता (UCC):

- **उत्पत्ति और इतिहास:**
  - औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार की वर्ष 1835 की रिपोर्ट में अपराध, साक्ष्य और अनुबंध सहित **भारतीय कानून में एक समान संहिताकरण का आह्वान** किया गया था।
    - हालाँकि, अक्तूबर 1840 की **लेक्स लोकी रिपोर्ट** ने सुझाव दिया कि **हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण से बाहर** रखा जाना चाहिये।
  - जैसे-जैसे ब्रिटिश शासन आगे बढ़ा हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये **वर्ष 1941 में बी.एन. राऊ समिति का गठन** किया गया। इस गठन के परिणामस्वरूप **वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू** हुआ।
- **समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा के विचार:**
  - **संविधान सभा** में बहस के दौरान समान नागरिक संहिता को शामिल करने पर महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई।
    - जहाँ **सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व** में मतदान हुआ और 5:4 के अनुपात में बहुमत मिला जिसके परिणामस्वरूप **मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने निर्णय** लिया कि **समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं** किया जाएगा।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय कहा था कि **समान नागरिक संहिता वांछनीय है लेकिन इसे तब तक स्वैच्छिक रहना चाहिये जब तक कि राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिये सामाजिक रूप से तैयार न हो जाए।**
- जिसके परिणामस्वरूप **समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) (अनुच्छेद 44)** में रखा गया।

नोट: भारत में **विवाह, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल लॉ के विषय समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) के अंतर्गत आते हैं।**

समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क:

- **विविधता में एकता का जश्न मनाना:** यह **व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के आधार पर भेदभाव और विरोधाभासों को दूर** करके तथा **सभी नागरिकों के लिये एक समान पहचान स्थापित** कर **राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा** देगी।
  - यह **विविधि समुदायों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को भी बढ़ावा देगी**।
  - उदाहरण स्वरूप **UCC बिना किसी कानूनी बाधा या सामाजिक दुष्प्रभाव के अंतर-धार्मिक विवाह और संबंधों को सक्षम बनाएगा।**
- **महिलाओं को सशक्त बनाना**: यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, जैसे- **बहुविवाह**, असमान विरासत आदि में **महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण और दमनकारी प्रथाओं** को समाप्त करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा।
- **कानूनी दक्षता के लिये इसे सरल बनाना**: भारत की वर्तमान कानूनी प्रणाली **जटिल और अतिव्यापी व्यक्तिगत कानूनों की अधिकता है, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होते हैं।**
  - **एक UCC विभिन्न कानूनों को** एक ही कोड में समेकित और सुसंगत बनाकर कानूनी **ढाँचे को सरल बनाएगा**।
  - इससे **स्पष्टता बढ़ेगी, कार्यान्वयन में आसानी होगी और न्यायपालिका पर बोझ कम होगा**, जिससे अधिक कुशल कानूनी प्रणाली सुनिश्चित होगी।
- **सफलता की वैश्विक कहानियों से प्रेरणा लेना**: **फ्राँस** जैसे दुनिया भर के कई देशों ने समान **नागरिक संहिता लागू की है।**
  - UCC एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत है जिसका अर्थ है कि **इससे जातिगत और धार्मिक राजनीति को रोका जा सकेगा।**

UCC के विरोध में तर्क:

- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरा**: भारत की शक्ति उसके विविध समाज में निहित है और इन विविधताओं को समायोजित करने के लिये व्यक्तिगत कानून विकसित किये गए हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि **एकल संहिता लागू करने से अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता कमज़ोर हो सकती है**, जिससे अलगाव एवं हाशिये की स्थिति की भावना पैदा हो सकती है।
- **न्यायिक बैकलॉग**: **भारत पहले से ही न्यायिक मामलों के एक महत्त्वपूर्ण बैकलॉग** का सामना कर रहा है तथा UCC को लागू करने से स्थिति और खराब हो सकती है।
  - **व्यक्तिगत कानूनों को एक कोड में सुसंगत बनाने के लिये आवश्यक व्यापक महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधारों हेतु समय और प्रयास की आवश्यकता** होगी।
  - परिणामस्वरूप इस **संक्रमणकालीन अवधि के दौरान** UCC की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले नए मामलों के उभरने के कारण **कानूनी प्रणाली पर बोझ बढ़ सकता है।**
- **गोवा में UCC को लेकर जटिलताएँ: गोवा में UCC के कार्यान्वयन की वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है।** हालाँकि **ज़मीनी हकीकत राज्य के UCC के भीतर जटिलताओं और कानूनी बहुलताओं को उजागर करती है।**
  - गोवा में UCC हिंदुओं को एक **विशिष्ट प्रकार के बहुविवाह की अनुमति देता है और मुसलमानों हेतु शरीयत अधिनियम का विस्तार नहीं करता है** (यह पुर्तगाली और शास्त्री हिंदू कानून पर आधारित है)।
  - इसके अतिरिक्त **कैथोलिक को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे- विवाह पंजीकरण से छूट** तथा **कैथोलिक पादरियों की विवाह को विघटित करने की शक्ति।**
  - यह भारत में **व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को उजागर करता है, यहाँ तक कि उस राज्य में भी जो UCC लागू करने के लिये जाना जाता है।**

भारत में UCC की दिशा में प्रयास:

- **सांविधिक प्रावधान:**
  - **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को धार्मिक रीति-रिवाज़ से बाहर विवाह करने की अनुमति है।
- **UCC की आवश्यकता की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - **शाहबानो केस, 1985**
  - **सरला मुद्गल केस, 1995**
  - **पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019)**
- **UCC से विधि आयोग तक का रुख:**
  - **भारतीय विधि आयोग (2018):** इसमें कहा गया है कि **UCC, इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है, क्योंकि यह राष्ट्र की सद्भावना के लिये प्रतिकूल** होगा।

- इसने यह भी सुझाव दिया कि **व्यक्तिगत कानूनों में सुधार संशोधनों द्वारा किया जाना चाहिये, न कि प्रतिस्थापन द्वारा**।
- हाल ही में **भारत के 22वें विधि आयोग** ने UCC के संबंध में सामान्य जनता के साथ-साथ मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय और सुझाव लेने का निर्णय किया है।

UCC को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक जड़ता:** किसी भी राजनीतिक दल ने इस **संहिता को अधिनियमित करने की ईमानदारी पूर्वक और नियमित तौर पर प्रतिबद्धता** नहीं दिखाई है क्योंकि इसे हमेशा से ही

समान सविलि संहिता को अभनियिमति करने से रोकते हैं। (2015)

[स्रोत: द हदिू]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/need-for-ucc-in-india